न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 131/2017 अपील

1.श्री सिकन्दर खां पिता बशीर खां मुसलमान निवासी इटुन्दा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

– रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्व आदेश तहसीलदार, जहाजपुर बमामले
प्रकरण सं0 495/2017 निर्णय दिनांक 25.10.2017

उपस्थित –
1. श्री मनीष कांटिया अधिवक्ता – अपीलार्थीगण की ओर से
2. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 26.02.2018

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश तहसीलदार जहाजपुर को बमामलें प्रकरण सं. 495/2017 निर्णय दिनांक 25.10.2017 के खिलाफ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार हल्का इटुन्दा ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरूद्व एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम इटुन्दा के सिवायचक आराजी नम्बर 993,994,995,996, 1007,1001,1002,257 किता 08 रकबा 9.00 बीघा भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रास्ते पर पड़त, कुई, आचा बनाकर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया । अतः अपीलार्थी के विरूद्व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही फरमायी जावे । उक्त आशय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी के विरूद्व धारा 91 नियम 3 के तहत नोटिस जारी कर दिनांक 25.10.2017 को निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्ट को 15 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया व उक्त भूमि से बेदखल करने का आदेश व शास्ति लगान 52.50 का 50 गुणा 2625/–रूपये अधिरोपित कर मौके से बेदखल करने का निर्णय पारित फरमा दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय / दण्ड आदेश विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को जरिये सम्मन से तलब किया गया व दिनांक 25.10.2017 की तारीख नियत की गयी व उसी दिन निर्णय पारित कर दिया व अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया । अपीलार्थी द्वारा सिवायचक आराजी सं. 996,1001,1007 में 5.05 बीघा भूमि पर करीब 40 वर्षो से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं । अपीलार्थी गरीब काश्तकार व्यक्ति हैं । अपीलार्थी व उसके परिवार के भरण पोषण व जीवन यापन का साधन भी उक्त कृषि ही है ।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा (राज.)

अपीलार्थी द्वारा सिवायचक आराजी सं. 996,1001,1007 की 05.05 बीघा भूमि पर ही कब्जा हैं, परन्तु पटवारी द्वारा रंजीशवश बढा चढा कर 09 बीघा भूमि पर कब्जे होने का अंकन किया , जबकि अपीलार्थी द्वारा कभी भी 09 बीघा भूमि पर कब्जा नहीं किया हैं, न ही वर्तमान में 09 बीघा भूमि पर कब्जा हैं । मात्र 05 बीघा भूमि पर ही कब्जा है जो करीब 40 वर्षों से कब्जे काश्त में हैं व मुखालपाने के आधार पर ही अपीलार्थी उक्त भूमि को नियमन कराने का अधिकारी हैं। यदि अपीलार्थी को उक्त भूमि से बेदखल कर दिया गया तो अपीलार्थी व उसके परिवारजन को भूखे मरने की नोबत आ जायेगी । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया व मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर बयान लेकर उक्त निर्णय दण्ड आदेश पारित फरमा दिया जो अपास्त किये जाने योग्य हैं । अतः निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान फरमावे ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 05.12.2017 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड तलब किया गया ।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि पटवार हल्का इटुन्दा ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरूद्व एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम इटुन्दा के सिवायचक आराजी नम्बर 993,994,995,996, 1007,1001,1002,257 किता 08 रकबा 9.00 बीघा भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रास्ते पर पड़त, कुई, आचा बनाकर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया । उक्त आशय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी के विरूद्व धारा 91 नियम 3 के तहत नोटिस जारी कर दिनांक 25.10.2017 को निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्ट को 15 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया व उक्त भूमि से बेदखल करने का आदेश व शास्ति लगान 52.50 का 50 गुणा 2625/–रूपये अधिरोपित कर मौके से बेदखल करने का निर्णय पारित फरमा दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय / दण्ड आदेश विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को जरिये सम्मन से तलब किया गया व दिनांक 25.10.2017 की तारीख नियत की गयी व उसी दिन निर्णय पारित कर दिया व अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया । अपीलार्थी द्वारा सिवायचक आराजी सं. 996,1001,1007 की 05.05 बीघा भूमि पर ही कब्जा हैं, परन्तु पटवारी द्वारा रंजीशवश बढा चढा कर 09 बीघा भूमि पर कब्जे होने का अंकन किया , जबकि अपीलार्थी द्वारा कभी भी 09 बीघा भूमि पर कब्जा नहीं किया हैं, न ही वर्तमान में 09 बीघा भूमि पर कब्जा हैं । मात्र 05 बीघा भूमि पर ही कब्जा है जो करीब 40 वर्षों से कब्जे काश्त में हैं व मुखालपाने के आधार पर ही अपीलार्थी उक्त भूमि को नियमन कराने का अधिकारी हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया व मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर बयान लेकर उक्त

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय दण्ड आदेश पारित फरमा दिया जो अपास्त किये जाने योग्य हैं । निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान फरमावे ।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम इटुन्दा के सिवायचक आराजी नम्बर 993,994,995,996, 1007,1001,1002,257 किता 08 रकबा 9.00 बीघा भूमि पर अवैध तरीके से अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण करने पर तहसीलदार जहाजपुर ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (3) के तहत कार्यवाही की जाकर निर्णय दिनांक 25.10.2017 को पारित किया । अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण संवत् 2073 में भी किया गया । जिस पर प्रकरण सं. 72/16 में बेदखल किया गया । अतिक्रमण पश्चातवर्ती होने से अपीलार्थी को बेदखल करने एवं 15 दिवस का सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जो विधि सम्मत हैं। अपीलार्थी की अपील खारिज फरमावें।

पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया एवं अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि पटवार हल्का ईटून्दा व भू अभिलेख निरीक्षक लुहारीकलां के मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम इटुन्दा के सिवायचक आराजी नम्बर 993, 994, 995, 996, 1007, 1001, 1002, 257 किता 08 रकबा 9.00 बीघा भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रास्ते पर पड़त, कुई, आचा बनाकर कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा हैं। अपीलार्थी स्वयं ने अपने अपील मेमों में अंकित किया हैं कि उक्त आराजियात में से अपीलार्थी द्वारा सिवायचक आराजी सं. 996,1001,1007 की 05.05 बीघा भूमि पर कब्जा हैं एवं उक्त कब्जा हटाने के संबंध में किसी प्रकार कोई शपथ पत्र पत्रावली पर उपलब्ध नही कराये गये एवं न ही कोई कथन अतिक्रमण हटाने संबंधी कहा हैं । अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण करने के संबंध में स्वयं स्वीकारोक्ति करने से एवं अतिक्रमण पश्चातवर्ती होने से तहसीलदार जहाजपुर द्वारा प्रकरण सं. 495/2017 दिनांक 25.10.2017 में पारित निर्णय विधि सम्मत प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं । अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत सिद्ध नहीं होने से खारिज की जाती हैं। तहसीलदार जहाजपुर द्वारा प्रकरण सं. 495/2017 दिनांक 25.10.2017 को पारित निर्णय यथावत रखा जाता हैं । निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/2/18

(एल.आर.गुगरवाल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)